राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1737/2017/बांसवाडा.

मैसर्स अरुण मार्बल उद्योग,
34 इण्डस्ट्रीयल एरिया, दाहोड़ रोड, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर, बांसवाड़ा
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर
उदयपुर .....प्रत्यर्थीगण.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

1. श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक
2. श्री छैल सिंह
स.वा.क.अ., बांसवाड़ा .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.2007 के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं होने की सूचना दी गई थी।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। ।

3. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवसायी को विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1987 के तहत करमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त था, परन्तु योजना के क्लॉज 4(e)(i) के अनुसार कर मुक्ति के लाभ की अवधि समाप्त होने के पश्चात 5 वर्ष तक औसत उत्पादन निरन्तर नहीं रहने से लाभ को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त करने के लिये आयुक्त, वाणिज्यि कर विभाग से अनुमति प्राप्त कर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.10.2007 को पारित किया गया था। उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक/17–18/264 दिनांक 08.12.2017 से यह सूचना दी गई कि अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यि कर विभाग की अनुमति से पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार उन्हें नहीं है। अपीलीय अधिकारी के का यह निर्णय विधि के प्रतिकूल है,

लगातार.....2

क्योंकि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध थी न कि अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध। अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 82 के तहत कर निर्धारण अधिकारी के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी को ही प्राप्त है। अतः अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे अधिनियम की धारा 82(1) के अनुसार अपील ग्रहण कर उसका निस्तारण करें। अपीलीय अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे स्थगन आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय करें। कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्थगन आवेदन के निस्तारण तक वसूली कार्यवाही नहीं करें।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर, प्रकरण अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य